

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 72/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रघुनाथसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति जाट निवासी करकला मजरा पपरेरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 12.9.2017 प्रकरण संख्या 7/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम रघुनाथसिंह

उपस्थित :

1. श्री गजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्त।
2. परोकार सरकार

दिनांक – 21.12.2017

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 12.9.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा तहत अदालत के समक्ष अपीलान्त के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 1337/2.12 है0 वाकै ग्राम पपरेरा किस्म चारागाह में से 0.07 है पर जोत कर अपीलान्त द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है। पूर्व में सम्बत 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था इसलिये अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके तहत

अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने एवं अतिक्रमित रकबे के लगान 0.63 का पचास गुना रशि रूपये 32/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात् नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश व तहत रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट को तहत अदालत ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये विवादित/अतिक्रमित रकबे से बेदखल/पैनल्टी एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। किन्तु अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में की गई बेदखली कार्यवाही का तथ्यात्मक हवाला नहीं दिया गया है। अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 2 में पटवारी के बयानों के आधार पर किसी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाना न्यायोचित नहीं रहता है। दौराने तहत रिकार्ड अवलोकन अपीलान्ट के खिलाफ हाले कार्यवाही से पूर्व गत 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं बेदखली का कोई हवाला नहीं पाया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में लाया जाना केवल पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर माना जाना प्रतीत होता है। हाल अतिक्रमण के संबध में तहत पत्रावली में संलग्न अपीलान्ट रघुनाथसिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2017 यह साबित करता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा किया है जो बाद में हटा लिया गया है ऐसी स्थिति में हाल अतिक्रमण तो सिद्ध हो जाता है किन्तु अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाना दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव उचित नहीं रहता है लिहाजा अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2017 पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में केवल सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को सुनाया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर**